

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक: एफ. 8(9) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/

जयपुर, दिनांक: AS on e-sing

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र क्रमांक 877 दिनांक 08.08.2025 एवं 18958332 दिनांक 20.11.2025 के क्रम में ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान क्रय किये 30 GSM-Controlled Hooter & Lounspeakse System Powered by Mains with Inverter Backed Power Pack के लम्बित बिलो के भुगतान हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को राशि 34,79,254/- (अक्षरे चौतीस लाख उन्नयासी हजार दो सौ चौवन रुपये मात्र) बजट मद 2245-80-800-10-01-12-सहायतार्थ एवं अनुदान गैर संवेतन (राज्य मद) से आवंटित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

1. उक्त स्वीकृति से भिन्न कार्य हेतु इस राशि का व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।
2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
3. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राशि का उपयोग करते ही अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावे।
4. वास्तविक व्यय राशि के उपरान्त अवशेष राशि विभाग को लौटाई जावेगी।
5. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के लिए सदेव खुले रहेगे।

(शैफाली कुशवाहा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
3. जिला कलेक्टर, जयपुर, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-V), विभाग, राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को उक्त बजट आवंटन कराने हेतु।

शासन उप सचिव

Document certified by SHEFALI KUSHWAHA
<shetalikushwaha04@gmail.com>.

Digitally Signed by Shefali
Kushwaha
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date :16-01-2026 12:03:43

RajKaj Ref No.:
19910762
eSign DSC